कृषि महाविद्यालय
(कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर)
बीकानेर रोड़, नागौर – 341001 (राजस्थान)
COLLEGE OF AGRICULTURE
(AGRICULTURE UNIVERSITY, JODHPUR)
Bikaner Road, Nagaur – 341001 Rajasthan

Dr. S.R. Kumawat
DEAN

Phone: 01582 294469
Mob. 9460554469
Email: coanagaur15@gmail.com

No. F. (14)/CoA/NGR/Store/2024/281-285 Date: 30/31.07.2024

सीमित निविदा सूचना 01/2024–25

कृषि महाविद्यालय, नागौर पर मुर्गी फार्म इकाई के लिए क्रम्बल्ड लेयर फीड के लिए प्रोक्योरमेंट प्रकिया से निविदा आमंत्रित की जाती हैI विस्तृत जानकारी http://www.sppp.rajasthan.gov.in तथा http://www.aujodhpur.ac.in पर देखी एवं डाउनलोड की जा सकती है I निविदा को स्वीकृत / अस्वीकृत/ स्थागित/ निरस्त आदि करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता का रहेगा I

क्र.स.	कार्य का विवरण	अनुमानित लागत (रु.)	धरोहर राशि (रु)	आवेदन शुल्क (रु.)
1.	मुर्गी दाना हेतु सिमित निविदा	190000/-	4000/-	500/-

निविदा सम्बंधित विभिन तिथियां एवं समय

क्र.स.	निविदा प्राप्ति दिनांक व समय	डी.डी./दस्तावेज जमा करवाने की अंतिम दिनांक व समय	निविदा खोलने की दिनांक व समय	निविदा खोलने का स्थान
1.	30.07.2024 प्रातः 10:00 बजे से 08.08.2024 प्रातः 10:30 बजे तक	08.08.2024 प्रातः 11:30 बजे तक	08.08.2024 दोपहर 01:00 बजे तक	कृषि महाविद्यालय, नागौर

UBN: JAU2425GSLB00078

अधिष्ठाता

प्रतिलिपि सूचनार्थः

1. The Comptroller, AU, Jodhpur with request to depute your representative for above tender.
2. Nodal Officer, University Web Site, AU, Jodhpur with request to upload on university website.
3. Chairman, Tender Committee, COA, Nagaur
4. Account section, COA, Nagaur
5. Notice Boar, COA, Nagaur

अधिष्ठाता

Scanned with OKEN Scanner

प्रपत्र –अ

(वितीय बिड)

(लिफाफा न. 02)

UBN: AUJ2425GSALB00078

निविदा फार्म

1. फर्म/ एजेन्सी का नाम .....
2. फर्म / एजेन्सी का पूरा पता .....
3. दूरभाष कार्यालय .....घर .....
4. फर्म का संगठन (एकल या साझदारी में).....
5. आयकर (स्थाई खाता संख्या).....
6. सामग्री एवं सेवा कर प्रमाण पत्र संख्या .....
7. बैंक का नाम .....
8. खाता संख्या .....

   IFSC Code No. .....
9. निविदा की अनुमानित लागत : रु 1.90 (एक लाख बानबे हजार)
10. निविदा प्रपत्र बेचने की अन्तिम तारीख व समय : 08/08/2024 प्रातः10.30 बजे तक
11. निविदा प्रपत्र जमा करने की अन्तिम तारीख व समय 08/08/2024 प्रातः11.30 बजे तक
12. निविदा खोलने की तारीख एवं समय : 08/08/2024 दोपहर: 01.00 बजे
13. निविदा प्रपत्र की कीमत : रु 500/ नकद /DD/BC द्वारा
14. बोली प्रतिभूति राशि रु 4000/- बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक नंबर .....दिनाकं .....
15. कार्यालय : अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, नागौर
16. पोल्ट्री फीड : **Details of various crumbled poultry feeds**

क्र.स.	पोल्ट्री फीड	अनुमानित मात्रा (क्विंटल)	मूल दर (प्रति क्विंटल) बिना कर	GST (प्रतिशत में)	GST राशि	दर (प्रति क्विंटल) GST सहित (4+6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Crumbled Layer Feed	60				

निविदाता के हस्ताक्षर मय मोहर

Scanned with OKEN Scanner

प्रपत्र –अ

(वितीय बिड)

(लिफाफा न. 02)

निविदा फार्म

1. फर्म/ एजेन्सी का नाम .....
2. फर्म / एजेन्सी का पूरा पता .....
3. दूरभाष कार्यालय .....घर .....
4. फर्म का संगठन (एकल या साझदारी में).....
5. आयकर (स्थाई खाता संख्या).....
6. सामग्री एवं सेवा कर प्रमाण पत्र संख्या .....
7. बैंक का नाम .....
8. खाता संख्या .....

   IFSC Code No. .....
9. निविदा की अनुमानित लागत : रु 1.90 (एक लाख बानबे हजार)
10. निविदा प्रपत्र बेचने की अन्तिम तारीख व समय : 08/08/2024 प्रातः10.30 बजे तक
11. निविदा प्रपत्र जमा करने की अन्तिम तारीख व समय 08/08/2024 प्रातः11.30 बजे तक
12. निविदा खोलने की तारीख एवं समय : 08/08/2024 दोपहर: 01.00 बजे
13. निविदा प्रपत्र की कीमत : रु 500/ नकद /DD/BC द्वारा
14. बोली प्रतिभूति राशि रु 4000/- बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक नंबर .....दिनाकं .....
15. कार्यालय : अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, नागौर
16. पोल्ट्री फीड : **Details of various crumbled poultry feeds**

क्र.स.	पोल्ट्री फीड	अनुमानित मात्रा (क्विंटल)	मूल दर (प्रति क्विंटल) बिना कर	GST (प्रतिशत में)	GST राशि	दर (प्रति क्विंटल) GST सहित (4+6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Crumbled Layer Feed	60				

निविदाता के हस्ताक्षर मय मोहर

Scanned with OKEN Scanner

प्रपत्र –ब
(तकनिकी बिड)
लिफाफा न. 01

फीड (क्रम्बल) क्रय करने हेतु निविदा के लिए निर्धारित शर्तें:

1. लिफाफा न. 01 में वित्तीय बिड के अतिरिक्त अन्य सभी आवश्यक दस्तावेज सलग्न बोली प्रति भूति राशि रु 4000/- तथा वेब साईट से निविदा प्रपत्र डाउनलोड करने पर अलग से निविदा प्रपत्र शुल्क रु 500 रु का नगद /DD/BC अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, नागौर के पक्ष में लिफाफा न.1 में रखें ।
2. लिफाफा न 2 में केवल वित्तीय बिड यानि निविदाता द्वारा दिए गए प्रति क्विंटल दर रहेगी तथा यह तभी खोली जाएगी यदि निविदाता तकनिकी बिड में सफल रहता है ।
3. दोनों लिफाफों न. (01 व 02) को एक लिफाफे में रख कर सील कर प्रस्तुत करना है ।
4. निविदादाता को किसी भी प्रकार का कोई अग्रिम भुगतान नही किया जायेगा । प्रतेक कार्यदेश/ कार्यदेश का कार्य संतोषप्रद रूप से पूर्ण होने एवं महाविद्यालय में स्वीकार करने के बाद ही भुगतान की कार्यवाही की जाएगी ।
5. निविदादाता निविदा कार्य तथा शर्तों के प्रतेक पृष्ठ पर मोहर सहित हस्ताक्षर करेगा तथा निविदा के अन्तिम पृष्ठ पर सभी शर्तों को सम्पूर्ण रूप में स्वीकार करने की सहमती देते हुए अलग से हस्ताक्षर करेगा ।
6. निविदा प्रपत्र में किसी प्रकार की काट छांट व ओवर राइटिंग नही होनी चाहिए । काट छांट /ओवर राइटिंग होने पर निविदा रद्द की जा सकेगी ।
7. किसी भी निविदा को स्वीकार व अस्वीकार करने का अधिकार अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, नागौर को होगा ।
8. निर्धारित समय में आपूर्ति नही करने पर राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 तथा राजस्थान लोक उपापन में प्रर्दार्शिता नियम, 2013 एवं राज्य सरकार के सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों व अन्य प्रचलित नियमों के अनुसार राशि वसूल (L.D.) की जाएगी ।
9. कार्यदेश/ कार्यादेश के अनुसार सामान की आपूर्ति करनी होगी ।
10. सफल निविदादाता के पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से सामग्री पर दर करने में अफल रहने पर अथवा आपूर्ति /कार्य संतोषजनक नही करने पर अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय नागौर को यह अधिकार होगा की अनुमोदित फर्म के हर्जे खर्च कर पेलेंटी सहित अन्य व्यवस्था द्वारा आदेशित कार्य आपूर्ति अन्य फर्म से करा सकें, इसके साथ ही बोली प्रति भूति एवं कार्य संपादन प्रति भूति (performance security) जब्त की जा सकेगी ।
11. समस्त निविदा प्रपत्र दिनाकं 08/08/2024 प्रातः 10:30 बजे तक अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय नागौर से प्राप्त किए जाकर दिनाकं 08/08/2024 प्रातः 11:30 बजे तक स्वीकार किये जायेंगे एवं जो क्रय समिति द्वारा दिनाकं 08/08/2024 को दोपहर 01:00 बजे उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोले जायेंगे। अपूर्ण एवं निर्धारित दिनाकं एवं समय के पश्चात प्राप्त होने वाले निविदा प्रपत्रों पर विचार नही किया जायेगा ।
12. उपरोक्त शर्तों के अतिरिक्त अन्य शर्तें निविदा सुचना राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 सामान्य वित्त एवं लेखा नियम में उल्लेखित नियम- 68 एवं वित्तीय विभाग, राजस्थान की अधिसूचना दिनाकं 19.11.2015 के प्रवधानानुसार लागू होगी ।
13. दर संविदा एक वर्ष के लिए होगी तथा समयावधि आपसी सहमती से 3 माह के लिए बढाई जा सकती है ।
14. राजस्थान के बहार की फर्मों तथा राजस्थान के भीतर की उन फर्मों, जो सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम एवं राजस्थान सरकार द्वारा समय-समय पर जारी संशोधन नियमों के अंतर्गत मूल्य अधिमान (Price Preference) की हकदार नही है, द्वारा निविदत्त दरों की तुलना करने में, राजस्थान बिक्री कर/वैट की राशि को शामिल नही किया जाएगा जबकि केन्द्रीय बिक्री कर को इसमें शामिल किया जायेगा । अर्थात स्थानीय व बाहरी फर्मों द्वारा प्रस्तुत दरों की तुलना में, स्थानीय फर्म की दर से बिक्री कर /वैट को प्रथक किया जाएगा जबकि बाहरी फर्म द्वारा प्रस्तुत दर में केन्द्रीय बिक्री कर को सम्मिलित किया जाएगा ।

निर्धारित समय में सामग्री की आपूर्ति नही करने पर सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के अन्तर्गत नियमानुसार लिक्विडेटेड डेमेज राशि 2.50 से 10.00 प्रतिशत वसूल की जाएगी । यदि परिसमापित क्षति के साथ सुपुर्दगी की

Scanned with OKEN Scanner

विभिन्न आदेशों में लिखित अवधि में वृद्धि की हो तो प्रदाय नही किये गए कार्यों के लिए निम्नलिखित प्रतिशत के आधार पर वसूली जाएगी ।

(क) विहित सुपुर्दगी अवधि की एक चौथाई अवधि तक के विलम्ब के लिए 2.50

(ख) एक चौथाई अवधि से अधिक किन्तु आधी अवधि तक के लिए 5.00

(ग) आधी अवधि से अधिक किन्तु तीन चौथाई अवधि तक के लिए 7.50

(घ) विहित सुपुर्ती अवधि की तीन चौथाई अवधि से अधिक के विलम्ब के लिए 10.00

15. सफल निविदादाता द्वारा किसी भी शर्त का उल्लंघन करने पर अथवा किसी शर्त को पूरा नही करने पर अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, नागौर को यह अधिकार होगा कि कार्य हेतु दिए गए आदेशों को रद्द करते हुए निविदादाता की कार्य सम्पादन प्रतिभूति, धरोहर राशि (Performance Security, Earnest Money) आंशिक या पूर्ण रूप से जब्त की जा सकेंगी।
16. निविदादाता को यह लिख कर देना होगा कि उसके द्वारा अनुबन्ध अवधि में यदि इस निविदा में प्रस्तुत दरों से कम दरों पर किसी भी विभाग, निगम, बोर्ड, अन्य स्वायतशापी संस्था आदि को सामग्री की आपूर्ति की जाती है तो तद्नुसार ही महाविद्यालय द्वारा कम दरों पर भुगतान किया जाएगा। इसके लिए Fall clause प्रमाण पत्र प्रपत्र 'य' भी संलग्न करना होगा।
17. किसी राजकीय विभाग अथवा उपक्रम द्वारा ब्लैक लिस्टेड फर्म निविदा प्रस्तुत करने के लिए अपात्र मानी जाएगी प्रपत्र 'द' सलग्न है। यदि ऐसी फर्म इस तथ्य को छिपाते हुए अपनी निविदा प्रस्तुत करती है तो उस फर्म की बोली प्रतिभूति (Bid security) कार्य सम्पादन प्रतिभूति (Performance security) जब्त करते हुए आपराधिक प्रकरण दर्ज करवाया जा सकेगा।
18. केवल न्यूनतम दर ही निविदा स्वीकृति का आधार नहीं होगा। दर के साथ-साथ सामग्री की गुणवत्ता को भी आधार माना जाएगा।
19. मुर्गीदाने का रासायनिक संगठन BSE/ISI (Feed should be from any brands like Godrej Agrovet, Sky Lark-Nutrich, Suguna, Uttra Food and Feed के द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप होनी चाहिये।
20. मुर्गीदाने की खरीद आवश्यकतानुसार विभिन्न लोट्स में की जाएगी तथा प्राप्त दरे अनुबंध निष्पादन से एक वर्ष तक मान्य रहेगी।
21. मुर्गी दाने की सप्लाई मुर्गी फार्म में देनी होगी अतः दरें FOR अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, नागौर की देनी होगी|
22. निर्धारित प्रपत्र के साथ फर्म का पहचान पत्र, PAN, TIN, Income Tax Return, Service Tax No., GST Registration No. आदि की छायाप्रतियां अवश्य संलग्न करें|
23. यदि प्रपत्र डाउनलोड करके लिया गया तब रु 500 का नकद /DD/BC द्वारा अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, नागौर अलग से लिफाफा नंबर 01 में, प्रतिभूति राशि से अलग देना होगा|
24. प्रपत्र के साथ बोली प्रतिभूति राशि का DD/BC संलग्न करना आवश्यक है|
25. गत 3 वर्षों के औसत टर्नओवर रुपए 15.00 लाख वाली फर्म इसके के लिए पात्र रहेगी|
26. फर्म के सभी आवश्यक प्रमाण पत्रों पर स्वयं के हस्ताक्षर करने होंगे|
27. सफल निविदादाता को रु 500 के स्टांप पेपर पर अनुबंध कराना अनिवार्य होगा, जिसका खर्चा सफल निविदादाता को वहन करना होगा साथ ही नियमानुसार सम्पादक प्रतिभूति राशि जमा कराने करानी होगी|
28. वित्तीय बोलियों में अंकगणितीय त्रुटियों का सुधार- बोली मूल्यांकन समिति निम्नलिखित आधार पर, सारभूत रूप से प्रत्यु प्रत्युत्तरदायी बोलियों में अंकगणितीय त्रुटियों का सुधार करेंगी अर्थात:-

(क) इकाई मूल्य और कुल मूल्य, जो इकाई मूल्य और मात्रा को गुणा करने पर प्राप्त होता है के मध्य यदि कोई विसंगति हो तो इकाई मूल्य अभिभावी होगा और कुल मूल्य में सुधार किया जायेगा, जब तक की बोली मूल्यांकन समिति की राय में इकाई मूल्य में दशमलव बिंदु की स्तिथि में स्पष्ट गलती रह गयी है, ऐसे मामले में उक्त कथित कुल मूल्य प्रभावी होगा और इकाई मूल्य में सुधार किया जायेगा |

(ख) यदि योग के घटकों को जोड़ने या घटाने के कारण योग में त्रुटि रह गयी तो घटक अभिभावी होंगे और योग में सुधार किया जायेगा और

Scanned with OKEN Scanner

(ग) यदि शब्दों और अंको के मध्य कोई विसंगति है तो शब्दों में व्यक्त की गयी रकम तब तक अभिभावी होगी जब तक की शब्दों में अभिव्यक्त रकम कोई अंकगणितीय त्रुटि से सम्बंधित न हो, ऐसे मामले में उपयुर्क्त खंड (क) और (ख) के अध्यधीन रहते हुए अंको में अभियक्त रकम अभिभावी होगी|

29. **सत्यनिष्ठा संहिता** - उपापन प्रक्रिया में भाग लेने वाला कोई भी व्यक्ति –

(क) उपापन प्रक्रिया में अनुचित फायदे के लिए या अन्यथा उपापन प्रक्रिया को प्रभावित करने की एवज में किसी रिश्वत, इनाम या दान या प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से किसी तात्विक फायदे का कोई प्रस्ताव नहीं करेगा।

(ख) सूचना का ऐसा दुर्व्यपदेशन या लोप नहीं करेगा जो किसी वित्तीय या अन्य फायदा अभिप्राप्त करने के लिए या किसी बाध्यता से प्रविरत रहने के लिए गुमराह करता हो या गुमराह करने का प्रयास करता हो।

(ग) उपापन प्रक्रिया की पारदर्शिता, निष्पक्षता और प्रगति को बाधित करने के लिए किसी भी दुरभिसंधि, बोली में कूट मूल्य वृद्धि या प्रतियोगिता विरोधी आचरण में लिप्त नहीं होगा।

(घ) उपापन संस्था और बोली लगाने वालों के बीच साझा की गयी किसी भी जानकारी का उपापन प्रक्रिया में अनुचित लाभ प्राप्त करने के आशय से दुरुपयोग नहीं करेगा।

(ङ) उपापन प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए किसी भी पक्षकार को या उसकी सम्पति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्षति या नुकसान पहुंचाने, ऐसा करने के लिए धमकाने सहित किसी भी प्रपीडन में लिप्त नहीं होगा।

(च) उपापन प्रक्रिया के किसी भी अन्वेषण या लेखापरीक्षा में बाधा नहीं डालेगा।

(छ) हित का विरोध, यदि कोई हो, प्रकट करेगा।

(ज) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत या किसी अन्य देश में किसी भी संस्था के साथ किसी पूर्व नियमभंग को या किसी अन्य उपापन संस्था द्वारा किसी विवर्जन को प्रकट करेगा।

30. हित का विरोध -

(1) किसी उपापन संस्था या उसके कार्मिकों और बोली लगाने वालों के लिए हित का विरोध ऐसी स्थिति को माना गया है जिसमें एक पक्षकार के ऐसे हित हों जो उस पक्षकार के पदीय कर्तव्यों या उत्तरदायित्वों, संविदागत बाध्यताओं के पालन, या लागू विधियों और विनियमों के अनुपालन को अनुचित रूप से प्रभावित कर सकता हो।

(2) उन स्थितियों में जिनमें उपापन संस्था या उसके कार्मिक हितों के विरोध में समझे जायेंगे, निम्नलिखित सम्मिलित है, किन्तु उन तक सीमित नहीं है:-

(क) हित का विरोध तब घटित होता है जब उपापन संस्था के किसी कार्मिक का निजी हित, जैसे कि बाह्य वृतिक या अन्य संबंध या व्यक्तिगत वित्तीय आस्तियां, उपापन पदाधिकारी के रूप में उसके वृतिक कृत्यों या बाध्यताओं का समुचित पालन करने में हस्तक्षेप करते हो या हस्तक्षेप करते हुए प्रतीत होते हो।

(ख) उपापन परिवेश में उपापन संस्था के किसी कार्मिक का ऐसा निजी हित, जैसे कि उपापन संस्था की सेवा में रहते हुए व्यक्तिगत विनिधान और आस्तियां, राजनैतिक या अन्य बाह्य क्रिया कलाप ओर सम्बन्धताएं, उपापन संस्था की सेवा से सेवानिवृत्ति के पश्चात नियोजन या उपहार की प्राप्ति, जो उसे बाध्यता की स्थिति में रखता हो, हित में विरोध उत्पन्न कर सकेगा ।

(ग) हित के विरोध में उपापन संस्था की मानवीय, वित्तीय और भौतिक आस्तियों सहित आस्तियों का उपयोग, या व्यक्तिगत फायदे के लिए उपापन संस्था के कार्यालय या पदीय कृत्यों से अर्जित ज्ञान का उपयोग, या किसी ऐसे व्यक्ति की स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव डालना सम्मिलित है जिसका उपापन संस्था का कार्मिक पक्ष नहीं लेता है।

(घ) हित का विरोध ऐसी स्थितियों में भी उत्पन्न हो सकता है जहा उपापन संस्था का कार्मिक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, कुटुम्ब, मित्रों या किसी ऐसे व्यक्ति जिसका वह पक्ष लेता है, सहित किसी तृतीय पक्षकार को उपापन संस्था के कार्मिकों की कार्रवाईयों या विनिश्चय से फायदा पहुंचाते हुए देखा जाता है या उन्हें उसमें सम्मिलित करता है।

Scanned with OKEN Scanner

(3) कोई बोली लगाने वाला किसी उपापन प्रक्रिया में एक या अधिक पक्षकारों के साथ हित के विरोध में माना जायेगा जिसमें निम्नलिखित स्थितियां सम्मिलित हैं किन्तु इन तक सीमित नहीं है यदि –

(क) उनके समान नियंत्रक भागीदार है।

(ख) वे उनमें से किसी से, कोई भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सहायिकी प्राप्त करते हैं या प्राप्त की है ।

(ग) उनका उस बोली के प्रयोजनों के लिए एक ही विधिक प्रतिनिधि है।

(घ) उनका प्रत्यक्ष रूप से या समान तृतीय पक्षकारों के मार्फत एक दूसरे के साथ ऐसा संबंध है जो दूसरे की बोली के बारे में सूचना तक पहुंचने या दूसरे की बोली पर प्रभाव डालने की स्थिति रखता हो।

(ङ) कोई बोली लगाने वाला एक ही बोली प्रक्रिया में एक से अधिक बोली में भाग लेता है। तथापि, यह एक ही उपसंविदाकार को एक से अधिक बोली में सम्मिलित होने से सीमित नहीं करता है जो बोली लगाने वाले के रूप में अन्यथा भाग नहीं लेता है।

या

(च) बोली लगाने वाले या उससे सहबद्ध किन्ही व्यक्तियों ने बोली प्रक्रिया के उपापन की विषयवस्तु के डिजाइन या तकनीकी विनिर्देशों को तैयार करने में सलाहकार के रूप में भाग लिया है। सभी बोली लगाने वाले अर्हता कसौटी और बोली प्ररूपों में यह विवरण उपलब्ध करायेंगे कि बोली लगाने वाला उस सलाहकार या किसी भी अन्य संस्था, जिसने उपापन की विषयवस्तु के लिए डिजाईन, विनिर्देश और अन्य दस्तावेज तैयार किये हैं, के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में न तो संबद्ध है और नहीं संबद्ध रहा है या संविदा के लिए परियोजना प्रबन्धक के रूप में प्रस्तावित किया जा रहा है।

31. **उपापन प्रक्रिया के दौरान शिकायतों का निस्तारण-** प्रथम अपील प्राधिकारी माननीय कुलपति, कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर एवं द्वितीय अपील प्राधिकारी प्रमुख शासन सचिव / अतिरिक्त मुख्य सचिव, कृषि विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर अथवा विश्वविद्यालय या राजस्थान सरकार द्वारा निर्धारित प्राधिकारी होंगे।

1 अपील:- (1) राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 की धारा 40 के अध्यधीन रहते हुए यदि कोई बोली लगाने वाला या भावी बोली लगाने वाला इस बात से व्यथित है कि उपापन संस्था का कोई निर्णय, कार्यवाही या लोप इस अधिनियम या इसके अधीन जारी निर्देशों या मार्गदर्शन के उपबंधों के उल्लघन में है तो वह उपापन संस्था के ऐसे अधिकारी को, जिसे इस प्रयोजन के लिए पदाभिहित किया जाये विनिर्दिष्ट आधार, जिस पर या जिन पर वह व्यथित है, स्पष्ट रूप से देते हुए ऐसे विनिश्चय या कार्यवाही या, यथास्थिति लोप की तारीख से दस दिन तक की अवधि या ऐसी अन्य अवधि, जो पूर्व अर्हता दस्तावेजों, बोली लगाने वाले के रजिस्टीकरण दस्तावेजो या बोली दस्तावेजों में विनिर्दिद की जाये के भीतर संलग्न प्रारूप **(प्रपत्र- र)** में अपील दाखिल कर सकेगा।

परन्तु बोली लगाने वाले के सफल होने की घोषणा के पश्चात् अपील केवल उस बोली लगाने वाले द्वारा दाखिल की जा सकेगी जिससे उपापन कार्यवाहियों में भाग लिया है।

परन्तु यह और कि ऐसी दशा में, जहाँ उपापन संस्था वित्तीय बोली को खोलने से पूर्व तकनीकी बोली का मूल्यांकन करती है वहां वित्तीय बोली के मामले से संबंधित अपील केवल उस बोली लगाने वाले के द्वारा दाखिल की जा सकेगी जिसकी तकनीकी बोली स्वीकार्य होने वाली पायी जाती है।

(2) उप-धारा (1) के अधीन अपील की प्राप्ति पर उक्त उप-धारा के अधीन पदाभिहित अधिकारी पक्षकारों को सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किए जाने के पश्चात् यह अवधारित करेगा कि उपापन संस्था ने इस अधिनियम इसके अधीन बनाए गए नियमों और मार्गदर्शक सिद्धान्तों के उपबंधों और पूर्व अर्हता के दस्तावेजों, बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों, या यथास्थिति, बोली दस्तावेजों के निबन्धों का पालन किया है या नहीं, और तदनुसार आदेश पारित करेगा जो उप-धारा (5) के अधीन पारित आदेश के अध्यधीन रहते हुए अंतिम होगा और अपील के पक्षकारों पर बाध्यकारी होगा।

(3) अधिकारी, जिसके समक्ष उप-धारा (1) के अधीन अपील दाखिल की गई है, अपील पर यथा सम्भव शीघ्र विचार करेगा और अपील दाखिल करने की तारीख से तीस दिवस के भीतर इसे निपटाने का प्रयास करेगा।

(4) यदि उप-धारा (1) के अधीन पदाभिहित अधिकरी उप-धारा (3) में विनिर्दिष्ट अवधी के भीतर उक्त उप-धारा के अधीन दाखिल अपील को निपटाने में असफल हो जाता है या यदि बोली लगाने वाला या भावी बोली लगाने वाला या

Scanned with OKEN Scanner

उपापन संस्था उप-धारा (2) के अधीन पारित आदेश से व्यथित है तो बोली लगाने वाला या, भावी बोली लगाने वाला या यथास्थिति, उपापन संस्था, उप-धारा (3) में विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान से या, यथास्थिति, उप-धारा (2) के अधीन पारित आदेश की प्राप्ति की तारीख से पन्द्रह दिवस के भीतर राज्य सरकार द्वारा इस निमित पदाभिहित किसी अधिकारी या प्राधिकारी को द्वितीय अपील दाखिल कर सकेगा।

(5) उप-धारा (4) के अधीन अपील की प्राप्ति पर उक्त उप-धारा के अधीन पदाभिहित अधिकारी या प्राधिकारी पक्षकारों को सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किए जाने के पश्चात् यह अवधारित करेगा कि क्या उपापन संस्था ने इस अधिनियम इसके अधीन बनाए गए नियमों और मार्गदर्शक सिद्धन्तों के उपबंधों और पूर्व अहंता के दस्तावेजों, बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों या यथास्थिति, बोली दस्तावेजों के निबन्धनों का पालन किया है या नहीं, और तदनुसार आदेश पारित करेगा जो अंतिम होगा और अपील के पक्षकारों पर बाध्यकारी होगा।

(6) अधिकारी या प्राधिकारी जिसके समक्ष अपील उप-धारा (4) के अधीन दाखिल की गई है, यथा सम्भव शीघ्र अपील पर विचार करेगा और अपील के दाखिल करने की तारीख से तीस दिवस के भीतर-भीतर इसे निपटाने के लिए प्रयास करेगा।

परन्तु यदि अधिकारी या प्राधिकारी, जिसके समक्ष उप-धारा (4) के अधीन अपील दाखिल की गई है, पूर्वोक्त अवधि के भीतर अपील को निपटाने में असमर्थ रहता है तो वह इसके लिए कारण अभिलिखित करेगा।

(7) अधिकारी या प्राधिकारी, जिसके समक्ष उप-धारा (1) और (4) के अधीन अपील दाखिल की जा सकेगी को, पूर्व अर्हता के दस्तावेजों, बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों या, यथास्थिति, बोली दस्तावेजों में उपदर्शित किया जाएगा।

(8) उप-धारा (1) और (4) के अधीन प्रत्येक अपील ऐसे प्रारूप में और ऐसी रीति से दाखिल होगी और उसके साथ ऐसी फीस होगी जो विहित की जाएं।

(9) इस धारा के अधीन अपील की सुनवाई के समय संबंधित अधिकारी या प्राधिकारी ऐसे प्रक्रिया-नियमों का अनुसरण करेगा जो विहित किए जाएँ।

(10) कोई भी ऐसी सूचना, जो भारत के आवश्यक सुरक्षा हितों के संरक्षण का **हास्य** करेगी या जो विधि के प्रवर्तन या उचित प्रतियोगिता में अड़चन डालेगी या बोली लगाने वाले या उपापन संस्था के विधि सम्मत वाणिज्यिक हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगी, इस धारा के अधीन की किसी पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगी, इस धारा के अधीन की किसी कार्यवाही में प्रकट नहीं की जाएगी।

2. अपील का प्रारूप - (1) राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 की धारा 38 की उप-धारा (1) या (4) के अधीन कोई अपील प्ररूप (प्रपत्र) में उतनी प्रतियों के साथ होगी जितने कि अपील में प्रत्यर्थी हैं।

(2) प्रत्येक अपील उस आदेश, जिसके विरूद्ध अपील की गयी है, यदि कोई हो, अपील में कथित तथ्यों को सत्यापित करने वाले शपथ पत्र और फीस के संदाय के सबूत के साथ होगी। (3) प्रत्येक अपील प्रथम अपील प्राधिकारी या, यथास्थिति, द्वितीय अपील प्राधिकारी को व्यक्तिशः या रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा या प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत की जा सकेगी।

3. अपील फाइल करने के लिए फीस - (1) प्रथम अपील के लिए फीस दो हजार पांच सौ रुपये और द्वितीय अपील के लिए दस हजार रुपये होगी जो अप्रतिदेय होगी। (2) फीस का संदाय किसी अधिसूचित बैंक के बैंक मांगदेय ड्राफ्ट या बैंकर चैक के रूप में किया जायेगा जो संबंधित अपील प्राधिकारी के नाम देय होगा ।

4. अपील के निपटारे की प्रक्रिया –

(1) प्रथम अपील प्राधिकारी या, यथास्थिति, द्वितीय अपील प्राधिकारी अपील फाइल किये जाने पर प्रत्यर्थी को अपील, शपथ पत्र और दस्तावेजों, यदि कोई हो, की प्रति के साथ नोटिस जारी करेगा और सुनवाई की तारीख नियत करेगा।

(2) सुनवाई के लिए नियत तारीख को प्रथम अपील प्राधिकारी या यथास्थिति, द्वितीय अपील प्राधिकारी –

(क) उसके समक्ष उपस्थित अपील के समस्त पक्षकारों की सुनवाई करेगा, और

(ख) मामले से संबंधित दस्तावेजो सुसंगत अभिलेख था उनकी प्रतियों का अवलोकन या निरीक्षण करेगा।

Scanned with OKEN Scanner

(3) पक्षकारों की सुनवाई, मामले से संबंधित दस्तावेजो, सुसंगत अभिलेख या उनकी प्रतियों के अवलोकन या निरीक्षण के पश्चात संबंधित अपील प्राधिकारी लिखित में आदेश जारी करेगा और अपील के पक्षकारों को उक्त आदेश की प्रति निःशुल्क उपलब्ध करायेगा।

(4) उप नियम (3) के अधीन पारित आदेश राज्य लोक उपायन पोर्टल पर भी दर्शित किया जायेगा।

32. किसी भी निविदा की स्वीकार या अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, नागौर (राजस्थान) होगा।

33. यदि वाद उत्पन्न होने कि स्थिति बनती है तो उस स्थिति में न्यायालय क्षेत्र, जोधपुर (राजस्थान) होगा।

अधिष्ठाता
कृषि महाविद्यालय, नागौर

मैने / हमने उपर्युक्त सभी शर्तों का सावधानी पूर्वक पढ़ लिया है एवं समझ लिया है तथा मैं / हम उपर्युक्त समस्त शर्तों से प्रतिबंधित रहूँगा / रहेंगे।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय मोहर

Scanned with OKEN Scanner

प्रपत्र –स

निविदादाताओं द्वारा घोषणा

मैं / हम घोषणा करता हूँ/ करते हैं कि मैंने / हमने जिन मालो / सामानों / उपकरणों के लिए निविदा दी है, उनका/उनके/ मैं /हम बोनाफाइड विनिर्माता /थोक विक्रेता/ सोल वितरक / प्राधिकृत डीलर / डीलर / सोल विक्रय / विपणन एजेन्ट हूँ/हैं।

यदि यह घोषणा असत्य पाई जाए तो किसी भी अन्य कार्रवाई, जो की जा सकती है पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मेरी / हमारी प्रतिभूति को पूर्ण रूप से जप्त (forfeit) किया जा सकेगा तथा निविदा को, जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया है, रद्द किया जा सकेगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर

Scanned with OKEN Scanner

प्रपत्र-द

निविदादाता द्वारा घोषणा

मैं / हम घोषणा करता हूँ / करते हैं, कि हमने जिन कार्यालय की जहाँ कही भी various crumbled poultry feeds क्रय करने सामग्री आपूर्ति की है, उस आपूर्ति में विगत 3 वर्षों में आपूर्ति Sub-Standard होने के कारण हमें किसी भी सरकारी विभाग / उपक्रम / कम्पनी द्वारा ब्लैकलिस्ट नहीं किया गया है।

हम यह भी घोषणा करते हैं कि हमें किसी भी न्यायालय द्वारा सामान प्रदायगी में कोई वाद लम्बित नहीं है तथा इस विषयान्तर्गत हमे किसी भी न्यायालय द्वारा दण्डित नहीं किया गया है।

निविदादाता के हस्ताक्षर

Scanned with OKEN Scanner

प्रपत्र- य

Fall clause प्रमाण पत्र

मैं /हम घोषणा करता हूँ/ करते हैं, कि हमने जिन various crumbled poultry feeds क्रय करने सामग्री की जहाँ कहीं भी आपूर्ति की है, उस आपूर्ति प्रश्नगत निविदा के क्रम में अनुबन्ध अवधि में इस निविदा में प्रस्तुत दरों से कम दो पर किसी भी विभाग, निगम, बोर्ड अन्य स्वायतशाषी संस्था आदि को various crumbled poultry feeds क्रय करने की आपूर्ति की जाती है तो तदनुसार ही महाविद्यालय से कम दरों पर भुगतान प्राप्त करने के लिए सहमति प्रदान करता हूँ।

निविदादाता के हस्ताक्षर

Scanned with OKEN Scanner

प्रपत्र 'व'

वित्तीय विवरण

वित्तीय वर्ष	ऑडिटेड बैलेंस शीट के अनुसार टर्न ओवर (रु)
2021-22	
2022-23	
2023-24	
योग	

औसत टर्न ओवर प्रतिवर्ष.....

(प्रमाणित)
हस्ताक्षर एवं मोहर (सनदी लेखाकार)

निविदादाता के हस्ताक्षर मय
मोहर एवं दिनांक

Scanned with OKEN Scanner

प्रपत्र 'र'

Form No.1 (See rule 83 of RTPP)

Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012

Appeal No. ....of.....

Before the..... (First/Second Appellate Authority)

1. Particulars of the appellant:

   (i) Name of the appellant:

   (ii) Official Address, if any:

   (iii) Residential address:

2. Name and address of the respondent (s):

   (i)

   (ii)

   (iii)

3. Number and date of the order appealed and name and designation of the officer/authority who passed the order (enclose copy), or a statement of a decision, action or omission of the procuring entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved.

4. If the appellant proposes to be represented by a representative the name and postal address of the representative.

5. Number of affidavits and documents enclosed with the appeal.

6. Ground of appeal.....(supported by an affidavit)

7. Prayer.....

Place:. .....Date: .....

Appellant's Signature

Scanned with OKEN Scanner